रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252727 CG-DL-E-07032024-252727

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] No. 150] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

फा. सं. बीएस/11/11/2024.—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 (जिसे इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) में, अनुसूची-II में, स्कीम-II में, पैरा 5 में, उप-पैरा (6) के स्थान पर,—
 - (क) निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, जो इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा अर्थात् :—
 "(6) सूक्ष्म उद्यमों और स्टार्ट-अप पर प्रक्रिया फीस में अस्सी प्रतिशत, लघु उद्यमों पर पचास प्रतिशत एवं
 मध्यम उद्यमों पर बीस प्रतिशत की रियायत लागू होगी।

1587 GI/2024 (1)

स्पष्टीकरण 1: इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) में दिया गया है। स्पष्टीकरण 2: स्टार्ट-अप का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में नियत है। ":

- (ख) 1 जून, 2026 से निम्नलिखित उप-पैरा में रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "(6) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रक्रिया फीस में बीस प्रतिशत की रियायत लागू होगी। स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) में नियत है।"
- 3. उक्त विनियमों की, अनुसूची-II के, स्कीम-IV में, पैरा 5 में, उप-पैरा (2) में, परंतुक के स्थान पर,
 - (क) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, जो इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा अर्थात्:
 "परंतु सूक्ष्म उद्यमों और स्टार्ट-अप को अस्सी प्रतिशत, लघु उद्यमों को पचास प्रतिशत एवं मध्यम उद्यमों को
 बीस प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

स्पष्टीकरण 1: इस परंतुक के प्रयोजन के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) में नियत है।

स्पष्टीकरण 2: स्टार्ट-अप का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 के 43) में नियत है। ";

(ख) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा जो 01 जून 2026 से प्रवृत्त होगा, अर्थात्: —
"परंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बीस प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस परंतुक के प्रयोजन के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) में नियत है।"

अलका. सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./806/2023-24]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 3, खंड 4 में फाईल संख्या बी एस / 11/11/2018 तारीख 04 जून, 2018 को प्रकाशित किया गया था और बाद में संशोधन फाईल संख्या बी एस / 11/11/2018 तारीख 12 अक्टूबर, 2018, फाईल संख्या बीएस/ 11/11/2020 तारीख 21 फरवरी, 2020, फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 तारीख 4 फरवरी, 2021, फाईल संख्या बीएस/ 11/11/2021 तारीख 5 फरवरी, 2021, फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 तारीख 5 अगस्त, 2021, फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 तारीख 5 अगस्त, 2021, फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 तारीख वीएस/11/11/2021 तारीख 6 दिसंबर, 2021, फाईल संख्या बीएस/11/11/2021 तारीख 16 मार्च, 2022 एवं फ़ाइल संख्या बीएस/11/11/2023 तारीख 21 जून, 2023 द्वारा संशोधित किया गया।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

- **F. No. BS/11/11/2024.**—In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 12 and 13 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, namely:—
- 1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the said regulations), in Schedule-II, in Scheme-II, in paragraph 5, for sub-paragraph (6),
 - (a) the following sub-paragraph shall be substituted with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely:—
 - "(6) Concession in processing fee of eighty per cent. shall be applicable to micro enterprises and start-ups, fifty per cent. shall be applicable to small enterprises and twenty per cent. shall be applicable to medium enterprises.

Explanation 1: For the purpose of this sub-paragraph, the expression micro, small and medium enterprises shall have the meaning assigned to it in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

Explanation 2: A start-up shall have the meaning as assigned to it in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).";

- (b) with effect from 1st June, 2026, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(6) Concession in processing fee of twenty per cent. shall be applicable to micro, small and medium enterprises.

Explanation: For the purpose of this sub-paragraph, the expression micro, small and medium enterprises shall have the meaning assigned to it in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)."

- 3. In the said regulations, in Schedule-II, in Scheme-IV, in paragraph 5, in sub-paragraph (2), for the proviso,
 - (a) with effect from the date of its publication in the Official Gazette, the following proviso shall be substituted namely:—

"Provided that a concession of eighty per cent. shall be given to micro enterprises and start-ups, fifty per cent. shall be given to small enterprises and twenty per cent. shall be given to medium enterprises.

Explanation 1: For the purpose of this proviso, the expression micro, small and medium enterprises shall have the meaning assigned to it in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

Explanation 2: A start-up shall have the meaning as assigned to it in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).";

(b) with effect from 1st June, 2026, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that a concession of twenty per cent. shall be given to micro, small and medium enterprises.

Explanation: For the purpose of this proviso, the expression micro, small and medium enterprises shall have the meaning assigned to it in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).".

ALKA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./806/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 vide F.No. BS/11/11/2018 dated the 4th June, 2018 and subsequently amended vide F.No. BS/11/11/2018 dated the 12th October, 2018, F.No. BS/11/11/2020 dated the 21st February, 2020, F.No. BS/11/11/2021 dated the 4th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated 4th June, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th August, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 27th October, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 8th December, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 16th March, 2022 and F. No. BS/11/11/2023 dated the 21st June 2023.